

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

संचिका संख्या :-17/ए 3 -16/2006 (खंड-2)/स्वा0, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में टेन्योर/संविदा/मानदेय पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों जिनकी अवधि समाप्त हो गई है/हो रही है, तत्काल अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। इस संबंध में समीक्षोपरांत शीघ्र आदेश निर्गत की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 3 -16/2006 (खंड-2)- 19 (17/पटना, दिनांक :- 12/11/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार पटना को ई0 गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

← 12/11/18

सरकार के विशेष सचिव।